



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या-8/2019/971/77-2-2019-1(बजट)/2019
लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2019

शुद्धि- पत्र

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में नये नलकूप के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-6/2019/619/77-2-2019-1(बजट)/2019, दिनांक 7-8-2019 के प्रस्तर-2(2) में त्रुटिवश "उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, मुद्रण द्वारा आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी" का उल्लेख हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश संख्या-6/2019/619/77-2-2019-1(बजट)/2019, दिनांक 7-8-2019 का प्रस्तर-2(2) को निम्नवत् पढ़ा जायेगा :-

"उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, मुद्रण द्वारा आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/याँ0), उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी"

3- उक्त शासनादेश दिनांक 7-8-2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

डा0 राकेश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-8/2019/971(1)/77-2-2019, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
8. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड (वि0/याँ0), उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज।
10. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-4
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।